386

संख्याः– 572 /VI(1)/2016–03(01)/2015

प्रेषक,

शैलेश बगौली,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पर्यटन निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

पर्यटन अनुभाग

देहरादून दिनांक 17 मार्च, 2016

विषयः–वित्तीय वर्ष 2015–16 में राज्य सेक्टर के अन्तर्गत पर्यटन विकास की नई योजनाओं पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–592/2–6–471/2015–16, दिनांक 15 मार्च, 2016 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सेक्टर की पर्यटन विकास की नई योजनाओं के अन्तर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015–16 में पर्यटन विकास की नई योजना मद में प्रावधानित धनराशि ₹ 100.00 लाख में से अवशेष धनराशि ₹ 5.71 लाख निम्नलिखित वर्णित योजनओं हेतु उनके नाम के सम्मुख कालम–4 में उल्लिखित धनराशि इस प्रकार कुल ₹ 5.71 लाख **(₹ पांच लाख इकहतर हजार मात्र)** की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :–

(धनराशि लाख रूपये में)

क्र० सं०	योजना का नाम	योजना की लागत	वित्तीय वर्ष 2015–16 में स्वीकृत की जा रही धनराशि
1	2	3	4
1	विकास खण्ड जाखणीधार के टिपरी–कण्डीखाल मोटर मार्ग के ग्राम भटकण्डा गांव के निकट व्य प्वाइंट निर्माण।	3.45	0.75
2	विकास खण्ड जाखणीधार के टिपरी–रौडधार मोटर मार्ग के ग्राम रतोली के निकट मुख्य मार्ग पर व्य प्वाइंट निर्माण।	3.07	0.75
3	विकास खण्ड चम्बा के ग्राम बागी (बमुण्ड) में व्यू प्वाइंट निर्माण।	3.74	0.75
4	विकास खण्ड चम्बा के नागनी–जड़धारगांव मोटर मार्ग के नाग देवपत्थल्ड में व्यू प्वाइंट निर्माण।	3.81	0.75
5	विकास खण्ड चम्बा के ग्राम पंचायत खड़ीखाल में व्य प्वाइंट निर्माण	3.91	0.75
6	विकास खण्ड चम्बा के ग्राम सिलोगी में व्यू प्वाइंट निर्माण	3.99	0.98
7	विकास खण्ड चम्बा ग्राम पटूडी रोड श्री त्रिलोक सिंह के मकान के नीचे व्यू प्वाइंट निर्माण	4.14	0.98
	योग :–	**26.11**	**5.71**

(i) उपरोक्त योजनाओं के कार्यो हेतु प्रस्तुत आगणन का तकनीकी परीक्षण नहीं कराया गया है। अतएव वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश–88/XXVII(3) कार्य/2005, दिनांक 24 फरवरी, 2005 में की गयी व्यवस्था का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

(ii) कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र पर सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।

(iii) कार्य पर मदवार उतना ही व्यय किया जाय जितनी मदवार धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाए तथा एक मद की धनराशि दूसरे मद में कदापि व्यय न की जाय।

(iv) कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें। निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाये तथा विशिष्टियों के अनरूप सामग्री ही प्रयोग में लायी जाये।

...2

(v) विस्तृत आगणन में प्राविधानित डिजायन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित कार्यदायी संस्था पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

(vi) स्वीकृत विस्तृत आगणन के प्राविधानों एवं तकनीकी स्वीकृति के आगणन के प्राविधानों में परिवर्तन (केवल अपरिहार्य स्थिति की दशा में ही) करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की सहमति अनिवार्य रूप से प्राप्त कर ली जाये।

(vii) व्यय करते समय उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 तथा इसके कम में समय–समय पर निर्गत दिशा–निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा।

(viii) आवंटित धनराशि का उपभोग 31 मार्च, 2016 तक कर लिया जाय। अवशेष धनराशि समयान्तर्गत शासन को समर्पित कर दी जाय।

(ix) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्ही मदों में किया जायेगा जिसके लिये यह स्वीकृत की जा रही है। मद परिवर्तन का अधिकार विभाग के पास नहीं होगा। बजट योजनावार आवंटन उसके विपरीत मासिक योजनावार व्यय का विवरण शासन को उपलब्ध करा दिया जायेगा।

(x) मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–2047/XIV–219(2006), दिनांक 30 मई, 2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से पालन करने का कष्ट करें।

(xi) कार्य के प्रति पूर्ण भुगतान करने से पूर्व किसी तृतीय पक्ष से इसकी गुणवत्ता की चेकिंग का कार्य उक्त अनुमोदित लागत से कराये जाने के बाद कार्य अनुमोदित आगणन के अनुसार होने की पुष्टि पर ही भुगतान किया जायेगा। यह दायित्व निदेशक पर्यटन का होगा। अतः निदेशक पर्यटन Third party Monitering की व्यवस्था सुनिश्चित कर लें।

(xii) कार्यदायी संस्था के निधारण में शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2– उपरोक्त व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015–16 के लेखाशीर्षक 5452–पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय– 80–सामान्य–आयोजनागत–104–संबर्धन तथा प्रचार–04–राज्य सेक्टर–49–पर्यटन विकास की नई योजनाएं–24–वृहत् निर्माण कार्य मानक मद के नामे डाला जायेगा।

3– उपरोक्त आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–88/XXVII(3)कार्य/2005, दिनांक 24 फरवरी, 2005 के प्राविधानों द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे है।

4– उक्त व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015–16 के अनुदान संख्या–26 के अन्तर्गत अलोटमेंट आईडी–S.1603260327 द्वारा निर्गत किया जा रहा है।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

(शैलेश बगौली)
सचिव।

संख्या– 572 /VI(1)/2016–03(01)/2015, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड देहरादून।
2– वित्त अधिकारी, साइबर ट्रेजरी, 23 लक्ष्मी रोड, डालनवाला देहरादून।
3– आयुक्त गढ़वाल मण्डल।
4– जिलाधिकारी, टिहरी को इस आशय से प्रेषित कि उक्त योजना की मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने का कष्ट करें।
5– वित्त अनुभाग–2. उत्तराखण्ड शासन।
6– जिला पर्यटक अधिकारी, टिहरी।
7– एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड।
8– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(गरिमा रौंकली)
संयुक्त सचिव।